फर्द अहकाम

लाला बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 08/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/08/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1, 2, 5, 6 के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा॰ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रा॰ पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस पूर्व मे सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी स. 6 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया और अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मिन प्रार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थिति मे पारित की गई अंतिम डिक्री दिनांक 16.01.2024 को अपास्त किया जाकर मिन प्रार्थी/प्रतिवादी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उसको जवाबदेही का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण पुनः गुणावगुण के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई। अप्रार्थी स. 1/ वादीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाबी बहस मे	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जवाब प्रार्थना पत्रों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ अन्त मे कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा वादपत्र मे दिनांक 16.01.2024 को अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री वैध रूप से प्रक्रिया अपनाकर पारित किये गये थे एवं प्रतिवादी सं. 6 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र मे पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2018 व दिनांक 16.01.2024 को पारित अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही थी एवं प्रतिवादी सं. 6 स्वयं सम्यक तामील हो जाने के बावजूद व कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर उनके सामने तैयार होने के बावजूद असत्य कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है कि प्रार्थना की गई। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन

फर्द अहकाम

लाला बनाम प्रेमदेवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 08/2024

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		करने के उपरान्त हम पाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 को रजिस्टर्ड समन तामील हेतु जारी किये गये थे। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. ⑥ को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे एक माह से अधिक का समय होने पर राजस्व लोक अदालत 2018 मे लोक अदालत की भावना को ध्यान मे रखते हुऐ दिनांक 12/06/2018 को प्रतिवादी सं. 6 की सम्यक तामील मानते हुऐ वादीया का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। मूलवाद के अवलोकन से राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 मे पक्षकारान को तामिल हेतु नोटिस जारी किये गये थे तामील कुनिन्दा द्वारा तामील के वक्त प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 से हस्ताक्षर नही करवाये गये है केवल प्रतिवादी सं. 1 के ही हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 की पर्याप्त तामील नही हुई है। न्यायालय द्वारा दिनांक 12/06/2018 को जारी प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय मे तहसीलदार बस्सी को विवादित भूमि का कोई मीटस एवं बाउण्डस व	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कब्जे काश्त को ध्यान मे रखते हुऐ के आधार पर उभयपक्षो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक भू.अ./2022/1367 दिनांक 23/02/2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये जिन्हे दिनांक 16/01/2023 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी पालना मे तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू.अ./2023/1968 दिनांक 10/04/2023 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये परन्तु तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव मात्र वादीया की उपस्थिति मे तैयार कर भिजवाये गये है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. ⑥ सूचना प्राप्त नही हुई पर्याप्त कारण मानते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा
		sd/-

फर्द अहकाम

लाला बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 08/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		151 सीपीसी को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुऐ प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16/01/2024 को पारित एक पक्षीय अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त कि जाकर तहसीलदार बस्ती से दिनांक 10/04/2023 को प्रेषित विभाजन प्रस्ताव निरस्त किया जाकर विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार बस्ती के पत्रांक भू-अ/2023/1968 दिनांक 10/04/2023 के प्रेषित विभाजन प्रस्ताव की प्रति मय नक्शे वापिस लौटाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2018 को जारी निर्णय व डिक्री के अनुसार मौके पर उभयपक्ष पक्षकारों को उपस्थिति रहने हेतु सूचित करते हुऐ उभयपक्ष पक्षकारो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव	

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		तैयार कर विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तीन तीन प्रतियों में भिजवाने एवं पक्षकारो को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना हेतु जारी नोटिस की प्राप्ति विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न कर इस न्यायालय में प्रेषित करने हेतु तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाकर मूलवाद अनवानी प्रकरण प्रेमदेवी बनाम प्रभातीलाल मुकदमा न. 255/2019 को पुनः नम्बर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद मूलवाद के साथ हमफीता हो।	